

प्रश्नक,

श्री अमीर मांझी,
संयुक्त माध्यम,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 6 दिसम्बर, 1997

विषय:- सन्त थरेसा स्कूल काठ मोदाम नैनीताल को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनायास प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह रहने का निर्देश हुआ है कि सन्त थरेसा स्कूल काठमोदाम नैनीताल को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनायास प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनायास नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीतायली का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की पुस्तक सन्निधि में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होना ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वालिमेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था केविक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

Principal
St. Theresa Sr. Sec. School
Church Compound
Beneca Estate

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तंत्रा उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तंत्रा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तंत्रा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

प्रमुख माँझी ।
संयुक्त सचिव ।

पुणे 11/15-7-1997 तदतिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- कक्षापीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कुमायूँ, मंडल नैनीताल ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल ।
- 4- निरीक्षक, जॉनल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रधानक, सन्त धीरसा स्कूल काठ गोदाम नैनीताल ।

आज्ञा है,

[Signature]

प्रमुख माँझी ।
संयुक्त सचिव ।

u

[Signature]

Principal
St. Theresa Sr. Sec. School
Church Compound
Fonseca Estate
KATHGODAM-263126 (Nainital)